

कार्यालय प्रधानमुख्य वनसंरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 () 2014-15/गोप्र/प्रमुखसं/२७५।।/c
कार्यालय आदेश

दिनांक:- १५ जुलाई, 2017

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवानियम, 1963 के नियम 25 के उप नियम (1) के अनुसार वर्ष 2014-15 में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी, द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16-17.6.2014 को आयोजित हुई। जिसमें श्री रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र भगवती लाल वनपाल को वर्ष 2009-10 से 2012-13 की ए.सी.आर. अप्राप्त होने के कारण डैफर्ड किया गया था।

उक्त ए.सी.आर. प्राप्त होने पर वर्ष 2014-15 की डी.पी.सी. को दिनांक 5.7.2017 को रिव्यू किए जाने पर इन्हे क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के वेतनमान 9300-34800 पे बैण्ड-2 ग्रेड पे-(10) 3600 में पदोन्नति पश्चात नवीन पदस्थापन उनके नाम के समुख अंकित विवरण अनुसार किए जाने के आदेश प्रयोगित किए जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी श्री	पिता का नाम श्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय कानाम	नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	रविन्द्र कुमार शर्मा	भगवती लाल	उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)	प्रोटोकोल एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff), जयपुर

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, वनपाल द्वारा दिनांक 31.7.2017 तक क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपरिथिति नहीं देने पर यह मान लिया जावेगा की ये पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं एवं इस अवसर को फोरगो (Forgo) मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(ए.के.गोयल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ)

राज.जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 () 2014-15/गोप्र/प्रमुखसं/२७५२-२७५२/c दिनांक:- १५ जुलाई, 2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/
2. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)
3. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) को प्रेषित कर लेख है कि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा वनपाल को तत्काल भार मुक्त कर नवीन पदस्थापन कार्यालय में दिनांक 31.7.2017 तक उपरिथिति देने हेतु निर्देशित करें।
4. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा वनपाल कार्यालय उप वनसंरक्षक, जयपुर (उत्तर)
5. क्षेत्रीय अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. रक्षी पत्रावली।

(डी.पी.जागत सिंह)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अरा.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राज.जयपुर